ओडीओपी उद्यमियों को 20 हजार रुपये तक की मिलेगी टूल किट

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत उद्यमियों को अधिकतम 20 हजार रुपये कीमत की टूल किट्स बांटी जाएंगी। शासन ने टूल किट वितरण के लिए संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले कारीगरों को तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने का फैसला किया गया है।

प्रमुख सचिव, एमएसएमई डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशिक्षुओं को क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस ट्रेनिंग व उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया है। हस्तशिल्पियों और कारीगरों को उन्नत किस्म के निशुल्क टूल किट उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका मूल्य निर्धारम आयुक्त एवं निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। टूल किट की खरीद जेम के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

बालिग कारीगर ही होंगे योजना के लिए पात्र

हस्तशिल्पियों व कारीगरों को 10 दिनों का कौशल एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण निशुल्क व आवासीय होगा। प्रतिदिन 200 रुपये मानदेय दिया जाएगा। पात्रता और चयन प्रक्रिया का भी नए सिरे से निर्धारण किया गया है। आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। भारत सरकार व राज्य सरकार की किसी योजना के तहत विगत 2 वर्षों में टूल किट का लाभ न पाने वाले कारीगर ही पात्र होंगे। आवेदक को जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा। प्रशिक्षणार्थियों का चयन गठित चयन समिति करेगी।